अधिकार किया है उस के बाद से भारत सरकार ने उस अपने भाग की पुनः प्राप्ति के लिए लिखित प्रोटैस्ट या इस के अतिरिक्त यू एन ओ में कोई प्रश्न किया है या नहीं और दूसरे क्या यह सच है कि भारतवर्ष की सरकार ने कई बार गुप्त रूप से पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए आधा काश्मीर पाकिस्तान को देने का कभी कोई प्रस्ताव किया है ?

SHRI Y. B. CHAVAN: The latter part—No. There is no such proposal made at any time by anybody.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : भारत सरकार ने लिखित रूप में या डाइरेक्ट कभी यू एन ओ से ऐग्रेशन को वैकेट कराने के लिये प्रार्थना की या नहीं ? अगर नही की तो क्यों ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has replied.

SHRI Y. B. CHAVAN: He asked whether there has been a proposal of giving half part of Kashmir to Pakistan. I said, 'No'. There was no proposal made at any time. Then, he wanted to know what is the Government's approach in this matter. This is the Government's approach. This can be done only by peaceful means.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या यह सच है कि इस सभा के अध्यक्ष श्री संजीव रेड्डी जब रूस के दौरे पर गये थे तब वहां के लोगों ने उन से यह शिकायत की कि भारतवर्ष की आजादी के बाद रूस वालों ने काश्मीर को भारतवर्ष का अंग माना, लेकिन भारत सरकार ने अपने आप ही उस को इंटग्रेट नहीं किया, धारा 370 को तोड़ कर उस को भारत का अंग नहीं बनाया, तब काश्मीर की हम क्या सहायता कर सकते हैं ? इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने कोई समय निर्धारित किया है कि कब तक वह काश्मीर को भारत का पूर्ण अंग बना लेंगे ? क्या इस तरह की कोई समय सीमा निर्धारित की गई हैं ?

SHRI Y. B. CHAVAN: No, Sir.

MR. DEPUTY SPEAKER: Question Hour is over now.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY SPEAKER: That is all. I have already given 2 minutes more.

SHORT NOTICE QUESTION

बलिया में पुलिस का गोली चलाना

\+

SNQ 16. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री मोलहू प्रसाद :

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने 8 अगस्त, 1968 को बलिया में महावीर जी के शान्तिपूर्ण झंडा जलूस पर गोली चलाई थी ;

(ख) किन कारणों से पुलिस को गोली चलानी पड़ी तथा इस सम्बन्ध में दोषी पायें गये व्यक्तियों के नाम क्या है ;

(ग) उक्त गली चलाये जाने से घायल तथा मृतकों की अलग-अलग संख्या क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) से (घ) : एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 8 अगस्त, 1968 को दोपहर के लगभग 2 बजे प्रथागत एक महावीर झण्डा जलूस निकाला गया। विधि और व्यवस्था बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिये पुलिस और मजिस्ट्रेटी प्रबन्ध पर्याप्त रूप में किये गये। जब जलूस बिशनीपुर मस्जिद पहुंचा तो जलूस वाले हिंसा पर उत्तर आये और उन्होंने ड्यूटी पर पुलिस और मजिस्ट्रेटों पर अन्धाधुन्ध ईंटें फैंकीं। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, पुलिस के डिप्टी-सुपरिनटेण्डेंट तथा कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गये। जब बार-बार चेतावनी देना और लाठी प्रहार करना प्रभावहीन हो गया तो सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने जमाव को जो गैर-कानूनी घोषित कर दिया था, चेतावनी देने के पश्चात् गोली चलाने के आदेश दिये। 3 गोलियां चलाई गईं। 3 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से एक लगभग आधी रात को घायल होने के परिणामस्वरूप मर गया। लाठी चार्ज में 13 व्यक्ति घायल हुये।

राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि घटना के विभिन्न पहलुओं पर राजस्व बोर्ड के एक सदस्य से जाँच कराई जाये।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : इस गोली काण्ड में एक बहुत गरीब पान बेचने वाला मरा है। उन के एक बच्चा और स्त्री परिवार में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन के जीवन यापन के साधनों पर कोई विचार किया गया है?

SHRI Y. B. CHAVAN: As I said, as far as giving help, etc., is concerned, I think, we will have to find out from the local authorities. I have not got any specific information on it.

श्री चन्द्रिका प्रसाद : इस गोली काण्ड में क्या एक पर्चा हिन्दू मुसलमान तनाव बढ़ाने के लिये बांटा गया था? अगर बाँटा गया था तो वह पर्चा कहां छापा गया था और उस के बांटने में किन लोगों का हाथ था?

SHRI Y. B. CHAVAN: The hon. Member is asking me to go into facts, etc. He himself has come and met me and asked for some enquiry at a little high level in this matter. I have written to the Governor to ask a senior Member of the Revenue Board to make enquiries in this matter. Before I can answer all these questions of detail, I must wait for the report.

श्री मोलह प्रसाद : इस विवरण में दिया गया है कि राजस्व बोर्ड के एक सदस्य को राज्य सरकार द्वारा जांच करने का अधिकार दिया गया है। राजस्व बोर्ड का सदस्य पुलिस और मजिस्ट्रेट के मामले में क्या जांच करेगा यह आप खुद ही सोच सकते हैं। इस काण्ड को ले कर 26 अगस्त के पूर्वी सन्देश के 47 अंक में शीर्षक छपा है कि :

"सन 30 के जुल्म की पुरानी याद– एस० पी० के उतावलेपन से गोली चली"।

इसी साप्ताहिक के पृष्ठ 4 पर एक और काण्ड के बारे में छपा है :

> "हल्दी थानान्तर्गत हरिहरपुर गांव के श्री० राम केवल दुबे ग्राम प्रधान की गत 15–66 अगस्त को रात्रि को किसी समय थाने के समीप ही निर्मम हत्या कर दी गई"।

यह जन्म अष्टमी के अवसर पर हल्दी थाने के अन्तर्गत हुआ। उत्तर प्रदेश के

सभी जगहों पर ऐसा होता है कि थाना अध्यक्ष सारे इलाके के लोगों को इस तरह से एकत्रित कर के चन्दा वसूल करते हैं। सारे पुलिस के दलाल वहां पर आते हैं और उन की सहायता से पुलिस वाले काफी रुपया ऐंठते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इन दोनो घटनाओं की न्यायिक जांच करवाने का आश्वासन देंगे।

दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का राज हो गया है और वहां की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। सोमवार, 8 जुलाई, 1968 के साप्ताहिक 'बिस्मिल' में इस तरह से छपा है :

> "डी० आई० जी० स्तर का पुलिस कुकर्म–पुलिस तबके में चिल्ल–पो मच गया।"

इस के बाद मैं थोड़ा सा इस अखबार से पढ़ देना चाहता हूं :

> "आजादी के बीस वर्षों बाद गोरखपुर की अदालतों में जो सबसे बड़ी घटना घटी वह है स्टेट बनाम श्री एस० एन० शर्मा ए० डी० एम० जे० का मुकदमा। इस मुकदमे को कायम कराकर वहां के कुख्यात पुलिस अधिकारियों ने अपनी नाक को कितना लम्बा-चौड़ा कर लिया है यह बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से जांच करने वाले विद्वान न्यायिक अधिकारी श्री आर० के० गुप्त द्वारा जांच में मिले तथ्यों से साफ जाहिर है।"

आगे लिखा है :

> "गोरखपुर के कमीने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिला जज और जिलाधीश की गवाही"।

जब से पुलिस और मजिस्ट्रेसी में यह काण्ड फैला है तब से गोरखपुर जिले में पुलिस एकदम निरंकुश हो गई है और वह बर्बरता का व्यवहार कर रही है। मैं चाहूंगा कि इस की भी मंत्री महोदय न्यायिक जांच करवायें ताकि मामला दुरुस्त हो सके और पुलिस की निरंकुशता समाप्त हो सके। एक ए० डी० एम० जे० गोरखपुर ने जब इन्स्पेक्टर को 6 महीने की सजा कर दी एक मामले में, तो मामला इतना बिगड़ गया कि मजिस्ट्रेट को सिपाही द्वारा बुलवाया गया और जे० एन० शर्मा को जान के लाले पड़ गये और उन को घुटने टेकने पड़े पुलिस के सामने। क्या मंत्री महोदय इस मामले की न्यायिक जांच करवायेंगे ताकि गोरखपुर और बलिया जिलों की जनता को राहत मिल सके?

SHRI Y. B. CHAVAN: The question is about Ballia firing incident.

As I said, I have asked to senior Member of Revenue Board to enquire into the matter. He has brought in some other incidents also. I can only plead.

श्री मोलहू प्रसाद : मंत्री महोदय न्यायिक जांच करवाने का आदेश दे दें।

SHRI Y. B. CHAVAN: Unless I get facts how can I merely say, जांच करवायेंगे। यह आश्वासन मैं कैसे दूं, क्योंकि आश्वासन देने के बाद कुछ करना पड़ता है?

श्री कंवरलाल गुप्त : जब से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, इस पुलिस की ज्यादतियों की घटनायें एक नहीं अनेक सदन के सामने भी आई हैं और समाचारपत्रों में भी निकली हैं और ऐसा मालूम होता है कि वहां पुलिस राज हो गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्योंकि उन की नोटिस में भी बहुत सी चीजें आई हैं, कि क्या उन्होंने कोई सूचना गवर्नर को पुलिस के व्यवहार को ठीक करने के बारे में

भेजी है? अगर भेजी है तो क्या भेजी है, और आगे यह चीज न हो, इस के लिये वह क्या कदम उठा रहे हैं?

SHRI Y. B. CHAVAN: I have specifically written to the Governors of both Bihar and U.P. I have heard the complaints in the last few weeks from Bihar and U.P. So, I have written to the Governor of U.P. to make his suggestion about this particular aspect and to take steps about it.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय: जो प्रश्न सदन के सामने है वह बड़ा गम्भीर है। यह प्रश्न कोई जातीयता के या साम्प्रदायिक आधार पर नहीं है, बल्कि शांति व्यवस्था के आधार पर है। उत्तर प्रदेश में आई० जी, डी० आई० जी०, एस० पी०, डी० एस० पी०, इन्स्पेक्टर, सब-इन्स्पेक्टर और कांस्टेबल आदि बहुत बढ़ा दिये गये हैं, लेकिन शांति और व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, जिस का ज्वलन्त उदाहरण बलिया का गोली काण्ड है। इस के सन्दर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि (क) जिन अधिकारियों ने इस जलूस को नियन्त्रित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, यानी शहर कोतवाल और डी० एस० पी०, बलिया, क्या अति शीघ्र उन का तबदला वहां से किया जायेगा जिस से जो न्यायिक जांच बिठलाई गई है वह उत्तम तरीके से हो सके और उन लोगों का उस पर किसी तरह का असर न हो, तथा (ख) क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो गोली चली है उस को डी० एस० पी० ने चलवाया है या कोतवाल ने चलवाया है अथवा जनता के बीच में से किसी ने चलाया है?

SHRI Y. B. CHAVAN: As I said, unless I get the enquiry report I cannot answer it.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय: मैंने ट्रांसफर के बारे में भी पूछा था। कोतवाल और डी० एस० पी० जिन्होंने जलूस का नियंत्रण किया और जिन की वजह से सारा कांड हुआ क्या उनको वहां से ट्रांस्फर किया जाएगा? अब तो वहां राष्ट्रपति शासन है। उनके रहते उत्तम तरीके से जांच नहीं हो सकती है। वे जांच पर अपने असर से काम लेंगे। क्या आप उनका वहां से तबादला करेंगे।

SHRI Y. B. CHAVAN: What transfer is to be made? Well, I cannot promise about the transfer.

श्री जगन्नाथ राव जोशी: जो वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है उसको पढ़ने से पता चलता है कि उस में से कुछ लिखना रह गया है। इस में यह लिखा हुआ है:

> "Adequate police and magisterial arrangements had been made to ensure maintenance of law and order. When the processionists reached the Bishunipur mosque, the processionists grew violent and resorted to indiscriminate brickbatting at the police and the magistrates on duty."

वहां पहुंचते ही लोग वायोलेंट हो गए और एकाएक पुलिस और मैजिस्ट्रेट की तरफ ब्रिकबैटिंग करने लग गए। ऐसा करने का उनका क्या उद्देश्य था, यह समझ में नहीं आता है। एकाएक वे पुलिस पर क्यों नाराज हो गए, मैजिस्ट्रेट पर क्यों नाराज हो गए और क्यों उन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिये। जब तक इस चीज को साफ नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है।

SHRI Y. B. CHAVAN: The hon. Member must understand one thing: that I cannot afford myself to be a witness in regard to all the facts that took place. But one thing is certain: that I can give a statement only on the facts that are available with me. But about the further facts, if at all I have to make any responsible statement, I

must wait. And when I have asked the Governor to send some senior official to go and enquire into it, unless I get that report, I would not be able to answer that question. But I can very well imagine why the whole thing started.

SEVERAL HON. MEMBERS *rose—*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, order. He is ascertaining the facts.

SHRI BAL RAJ MADHOK: As to why they threw brickbats, at least he must have the information for that thing. Did they do it all of a sudden? Something must have happened which he should tell the House.

SHRI Y. B. CHAVAN: Why I am not giving any definite answer to this is because these are the vital aspects of the enquiry. If I form an opinion about it now, what is the point of your asking me to have an enquiry?

श्री विभूति मिश्र: गृह-मंत्री जी ने कहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमैंट के किसी बड़े ग्राफसर को जांच का काम सौंपा गया है। ग्राप देखें कि रेवेन्यू विभाग के ग्रफसर पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट देने से डरते हैं क्योंकि पुलिस से उनका काम पड़ता है। सदन के दोनों तरफ के सदस्यों को उन पर भरोसा नहीं है। जज पुलिस से डरता नहीं है। क्या किसी जज को इस इनक्वायरी का काम सौंपा जाएगा ताकि इंडिपेंडेंट इनक्वायरी भी हो ग्रौर लोगों को संतोष भी हो जाए ग्रौर ग्रापको एक इम्पार्शल रिपोर्ट भी मिल जाए?

SHRI Y. B. CHAVAN: I can understand the hon. Member's feeling in this matter. But I would plead with him on one point. I would like to make a distinction between the different types of law and order incidents that take place. One is the communal incidents and the other the non-communal incidents. In communal incidents we want the authorities to act firmly. And, therefore, I would not straightway jump into accepting a judicial enquiry in an incident of a communal nature. Therefore, I think that it is much better that a very senior officer—he is not merely a revenue official or one of that type that he has in mind at the district level, since many times they depend upon the police authority—goes into it.

श्री राम सेवक यादव: वह ग्रापके प्रशासन की एक इकाई है।

SHRI Y. B. CHAVAN: Everybody is part of the *shasan*. Even a judge becomes a part of the *shasan* in that sense. Please do not mislead yourself. Therefore, I would like to be very cautious and careful in this matter. Our present policy is to get the police to act firmly in a communal incident, and this is also a national problem. In this matter, I do not wish to rush into having a judicial enquiry in that formal manner.

श्री शिव चरण लाल: ग्रंग्रेजी राज्य काल में पुलिस द्वारा इतनी गोलियां नहीं चलाई गई हैं जितनी इस राज्य में चलाई गई हैं। गोंडा, बलिया, गोरखपुर, बाराबंकी, ग्रागरा, फैजाबाद ग्रादि में गोलियां चली हैं। पुलिस की जो ज्यादतियां हैं वे हद को पार कर गई हैं। ग्राम सोफीपुर, तोतलपुर में पुलिस ने घोर ग्रत्याचार किये हैं। पुलिस ने डकैत बन कर वहां लूट मचाई है। उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से भी मिला था। क्या मैं ग्राशा करूं कि जो एस० पी० हैं या जो कलैक्टर हैं उनको हटा करके क्या इन घटनाग्रों की खुली जांच ग्राप करवायेंगे? उनके रहते जांच सही नहीं हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि उन ग्रधिकारियों को हटाया जाए जिन की देखरेख में ये जुर्म हुए हैं।

SHRI Y. B. CHAVAN: No, Sir; I would not go to that length.

श्री सरजू पाण्डेय: इस घटना के दो तीन दिन बाद मैं वहां गया था। मुझे मालूम हुआ कि जिस मस्जिद के सामने से जलूस पास करता है वहां कई बार झगड़े हो चुके हैं। मैंने वहां डी० एम० से भी बात की है। हमें मालूम हुआ है कि घटना की जांच खुद डी० एम० बलिया कर रहे हैं। मंत्री महोदय के उत्तर से मालूम होता है कि कोई रेवेन्यू डिपार्टमैंट का अफसर इनकी जांच कर रहा है। जहां भी इस तरह से गोली चलती है वहां पहले से ही कुछ न कुछ चलता है। अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि पहले भी पर्चे बांटे गये थे इस जगह पर कई बार इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, झगड़े होते रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी छानबीन इसकी तभी हो सकती है जब इसकी जांच गुप्तचर विभाग से कराई जाए। तभी इसका सही मूल्यांकन हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पूरी घटना की जांच गुप्तचर विभाग से कराई जाएगी?

SHRI Y. B. CHAVAN: I have answered this question.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have spent 15 minutes on this. I have given more opportunities to members coming from U.P.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

APPOINTMENTS TO A COURT OF SESSIONS

*781. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Law Commission has suggested that appointments to a Court of Sessions be made by the High Court of the State instead of State Government as at present;

(b) whether Government have considered the suggestion; and

(c) if so, when suitable amendments to the Code of Criminal Procedure will be introduced?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Government's views will be formulated after examination of the report in consultation with State Governments.

EROSION OF NATIONAL HIGHWAY No. 31

*786. SHRI KAMESHWAR SINGH:

SHRI ONKAR LAL BERWA:

Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn towards the fast erosion by Ganga, one mile from National Highway No. 31 near Rahimpur in Khogana sub-Division;

(b) if so, the action taken by Government for the safety of the National Highway No. 31; and

(c) if no action has been taken the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Protective works in the form of spurs have already been constructed by the North Eastern Railway at Mansi near Rahimpur to arrest further erosion of its North bank by the river Ganga. This project is being jointly financed by the Railway, the Ministry of Transport and Shipping and the Bihar Government. Some damage has been caused to the spurs during the recent floods this year and necessary repairs are being carried out by the Railway.